अध्याय I
केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राप्तियाँ

1.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

इस प्रतिवेदन में विभागीय कार्यालयों तथा उत्पादनकर्ताओं के परिसरों में अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा से लिए गए, अलग से या एक साथ मिलाकर दर्शाए गए 55 पैराग्राफ शामिल हैं। इन पैराग्राफों में ₹ 250.71 करोड़ का राजस्व शामिल है। इसके अतिरिक्त, हमने मार्च 2010 तक आयोजित लेखापरीक्षा के लिए 95 पैराग्राफ भी जारी किए थे। विभाग/मंत्रालय ने इन 95 पैराग्राफों में समाहित ₹ 77.06 करोड़ के मूल्य पर कारण बताओं ज्ञापनों को जारी करके, कारण बताओं ज्ञापनों पर निर्णय देकर तथा ₹ 29.12 करोड़ की वसूली करके सुधारात्मक कार्रवाई पहले ही कर ली है। हमने यह भी सिफारिश की थी कि पैरा 5.1 तथा पैरा 6.1 में उठाए गए दो विषयों पर बोर्ड सपष्ट्रीकरण जारी करे क्योंकि प्रावधानों के आशय पर कमीश्निरियों में मतभेद है।

1.2 बजटीय अनुमान, संशोधित बजटीय अनुमान और वास्तविक प्राप्तियाँ

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान केन्द्रीय उत्पादशुल्क के बजट अनुमान, संशोधित बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका और ग्राफ में दर्शाया गया है:-

तालिका सं. 1

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजटीय अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां*	वास्तविक प्राप्ति और बजटीय अनुमान के बीच अन्तर	अन्तर की प्रतिशतता
2005-06	1,20,768	1,11,006	1,11,226	(-) 9,542	(-) 7.90
2006-07	1,19,000	1,17,266	1,17,613	(-) 1,387	(-) 1.17
2007-08	1,30,220	1,27,947	1,23,611	(-) 6,609	(-) 5.07
2008-09	1,37,874	1,08,359	1,08,613	(-) 29,261	(-) 21.23
2009-10	1,06,477	1,02,000	1,02,991	(-) 3,486	(-) 3.27

* वित्त लेखे के अनुसार आंकड़े

ग्राफ I: केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राप्तियां-बजटीय,संशोधित तथा वास्तविक

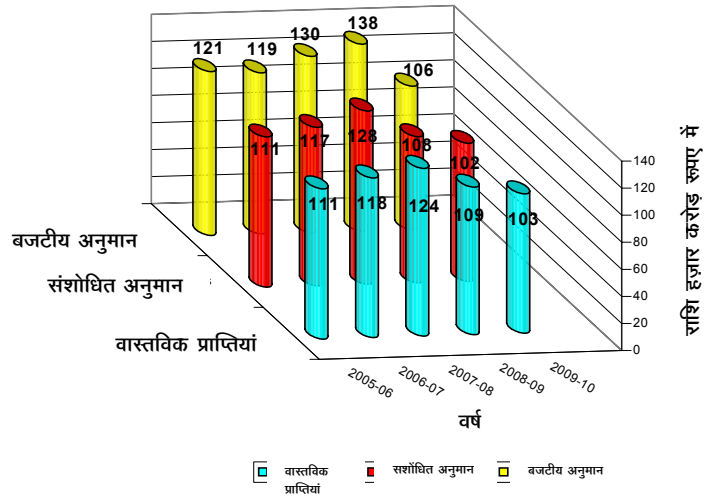

जबकि 2005-06 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान वास्तविक संग्रहण और बजट अनुमानों के बीच अन्तर 10 प्रतिशत के अन्दर था, यह 2008-09 के दौरान 21 प्रतिशत पर महत्पूर्ण रूप से उच्चतर था। 2009-10 में, वास्तविक प्राप्तियों तथा बजटीय अनुमानों का अन्तर 3.27 प्रतिशत तक आ गया। वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक के दौरान वास्तविक प्राप्तियों और बजट अनुमानों के बीच प्रतिशतता भिन्नता निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाई गई है:-

ग्राफ 2 : बजटीय अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता भिन्नता

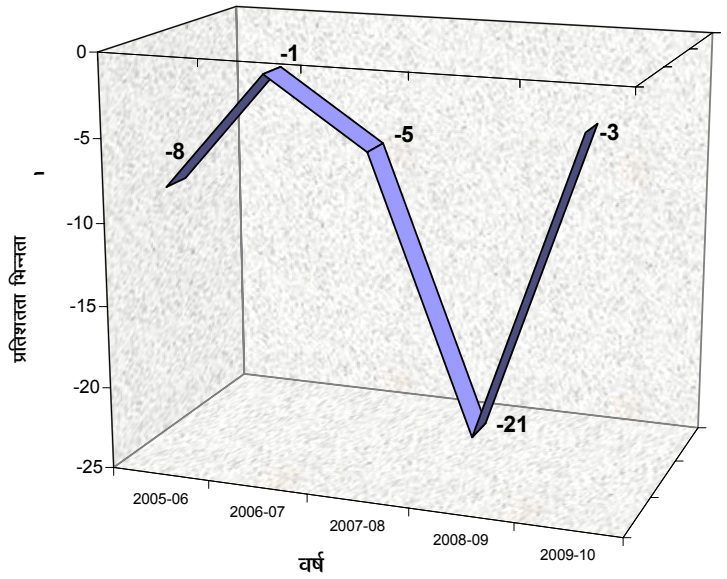

1.3 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की तुलना में उत्पादन का मूल्य

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान वैयक्तिक खाता लेखा (नकद संग्रहण) के माध्यम से केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राप्ति की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र से उत्पादन** का मूल्य आगे की तालिका और ग्राफ में दिया गया है:-

तालिका सं. 2

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	उत्पादन का मूल्य*	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां	उत्पादन के मूल्य की तुलना में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता
2005-06	14,79,338	1,11,226	7.52
2006-07	16,61,297	1,17,613	7.08
2007-08	18,07,491	1,23,611	6.84
2008-09	18,50,871	1,08,613	5.87
2009-10	20,50,765	1,02,991	5.02

* अनुमानित आंकड़ा स्रोतः केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन, भारत सरकार।

** चालू कार्य में निवल वृद्धि एवं अपने उपयोग हेतु उत्पाद सहित दी गई अवधि के दौरान उत्पादित सभी माल के मूल्य शामिल हैं। मूल्यांकन, उत्पादक मूल्यों अर्थात उत्पादकों की स्थापना पर बाजार दर हैं। चूंकि लघु उद्योग इकाईयों द्वारा उत्पादन के मूल्य और निर्यात उत्पादन के लिए पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, उन्हें दिखाए गए निर्गम के मूल्य से नहीं निकाला गया है।

ग्राफ 3: केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राप्तियां एवं उत्पादन का मूल्य

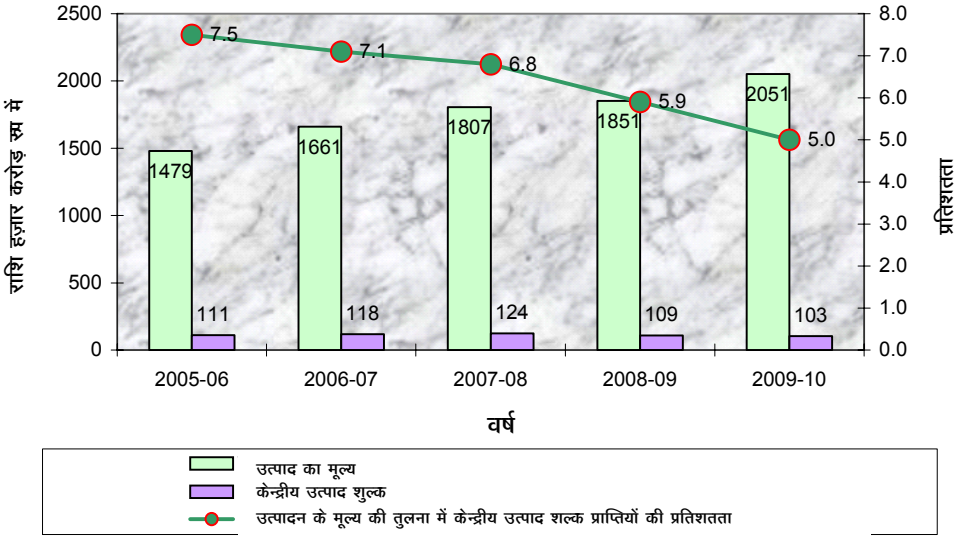

पूर्ववर्ती तालिका से पता चलता है कि उत्पादन का मूल्य 2005-06 से 2009-10 वर्षों के दौरान 1.39 के गुणक से बढ़ा था तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राप्तियों में तद्नुरूपी वृद्धि 2007-08 तक 1.11 के गुणक में थी और 2008-09 तथा 2009-10 में यह 0.9 के गुणक से घट गई थी। तद्नुसार, केन्द्रीय उत्पादशुल्क की 2008-09 तथा 2009-10 को छोड़कर जब 2007-08 और 2008-09 की तुलना में प्राप्तियों में कम वृद्धि हुई थी, प्रायः उत्पादन के मूल्य के साथ गति धीमी थी।

1.4 उपयुक्त सेनवेट क्रेडिट की तुलना में केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राप्तियां

2005-06 से 2009-10 वर्षों के दौरान व्यक्तिगत बही खाते (पीएलए) के माध्यम से तथा सेनवेट क्रेडिट लेखे के माध्यम से नकदी में प्रदत्त केन्द्रीय उत्पादशुल्क के विवरण दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण निम्निलिखित तालिकाओं और ग्राफों में दिया गया है:

तालिका सं. 3

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएलए के माध्यम से प्रदत्त केन्द्रीय उत्पादशुल्क		सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से प्रदत्त केन्द्रीय उत्पादशुल्क		पीएलए के माध्यम से प्रदत्त शुल्क के प्रति सेनवेट की प्रतिशतता
	राशि	प्रतिशतता वृद्धि	राशि	प्रतिशतता वृद्धि	
2005-06	1,11,226	12.21	96,050	25.29	86.36
2006-07	1,17,613	5.74	1,28,698	33.99	109.42
2007-08	1,23,611	5.10	1,52,210	18.27	123.14
2008-09	1,08,613	(-) 12.14	1,50,361	(-) 1.21	138.44
2009-10	1,02,991	(-) 5.30	1,19,982	(-) 20.20	116.50

* आंकड़े वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए

ग्राफ 4: केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राप्तियां (पीएल) एवं सेनवेट

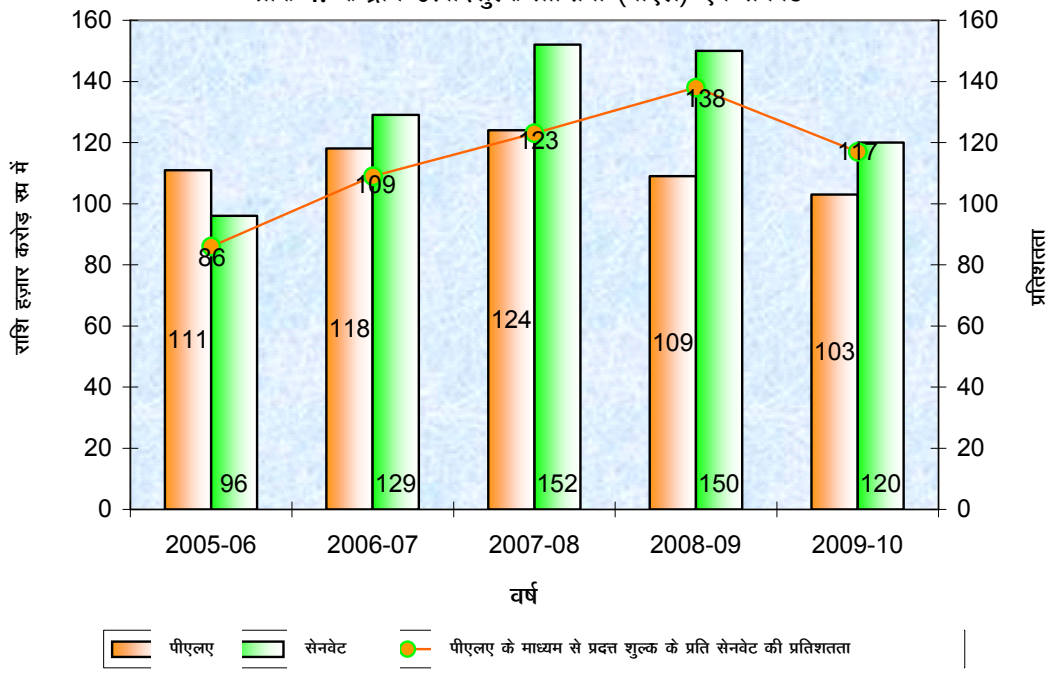

ग्राफ 5: केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राप्तियों (पीएलए) की वृद्धि की दर एवं सेनवेट

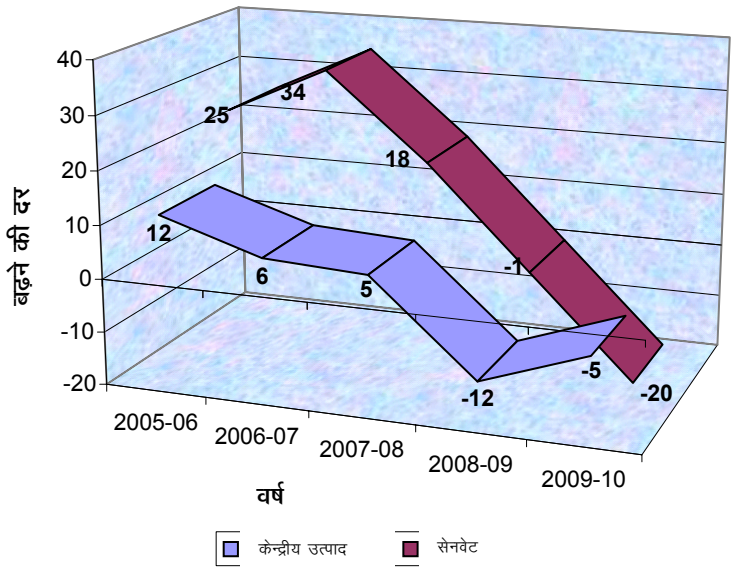

इस प्रकार, वास्तविक केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राप्तियां (नकदी में), 2005-06 से 2009-10 तक के वर्षों के दौरान 7 प्रतिशत तक घट गई थी, उसी अवधि के दौरान सेनवेट के माध्यम से शुल्क का भुगतान अधिक था जो 25 प्रतिशत पर था। नकद प्रदत्त शुल्क के

प्रति सेनवेट की प्रतिशतता 2005-06 से 2008-09 तक के वर्षों के दौरान लगातार बढ़ती रही और 2009-10 में घट गई। हमने सेनवेट क्रेडिट योजना के दुरूपयोग के बारे में इस प्रतिवेदन के अध्याय III में और पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इसी अध्याय में उल्लेख किया है।

1.5 संग्रहण की लागत

पिछले चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों के साथ केन्द्रीय उत्पादशुल्क के संग्रहण में वर्ष 2009-10 के दौरान किया गया व्यय निम्नलिखित तालिका और ग्राफ में दिया गया है:-

तालिका सं. 4

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	उत्पादशुल्क से प्राप्तियां		संग्रहण पर व्यय$		प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण की लागत
	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि	राशि*	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि	
2005-06	1,11,226	12.21	901.02	9.10	0.81
2006-07	1,17,613	5.74	974.49	8.15	0.83
2007-08	1,23,611	5.10	1,107.28	13.62	0.90
2008-09	1,08,613	(-) 12.14	1,650.27	49.04	1.52
2009-10	1,02,991	(-) 5.18	2,126.97	28.89	2.07

* आंकड़े वित्त लेखाओं के अनुसार

$ व्यय के आंकड़ों में सेवा कर के संग्रहण हेतु किया गया व्यय शामिल है क्योंकि मंत्रालय द्वारा इसके पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते

ग्राफ 6: केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राप्तियों तथा संग्रहण लागत में प्रतिशतता वृद्धि

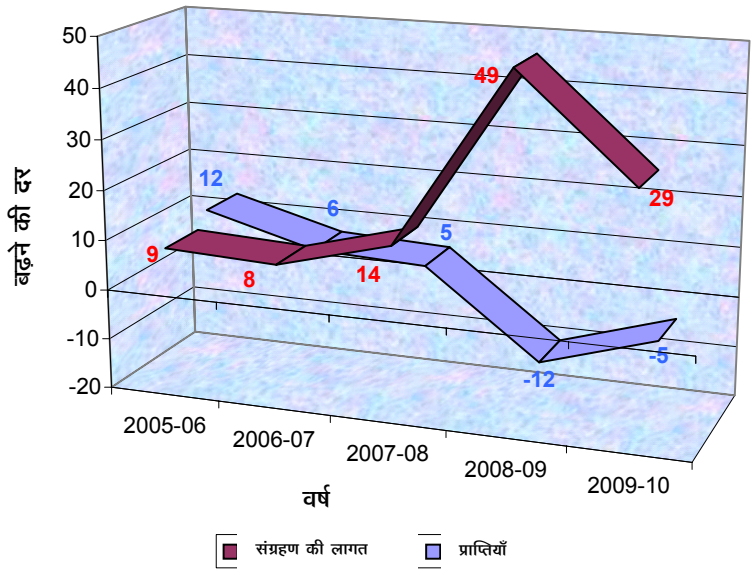

1.6 बकाया मांग

31 मार्च 2009 तथा 31 मार्च 2010 को अधिनिर्णय/वसूली के लिए बकाया उत्पादशुल्क के लिए मांगों* में अन्तर्ग्रस्त मामलों की संख्या एवं राशियों का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है:-

तालिका सं. 5

(राशि ₹ करोड़ में)

के पास लम्बित निर्णय	31 मार्च 2009 को				31 मार्च 2010 को			
	मामलों की संख्या		राशि		मामलों की संख्या		राशि	
	पांच वर्षों से अधिक	पांच वर्षों से कम	पांच वर्षों से अधिक	पांच वर्षों से कम	पांच वर्षों से अधिक	पांच वर्षों से कम	पांच वर्षों से अधिक	पांच वर्षों से कम
अधिनिर्णयन अधिकारी	311	13,048	32.74	11,811.85	15	14,242	4.89	12,649.62
अपील आयुक्त	354	6,982	262.61	1,725.56	440	6,361	60.87	3,373.74
बोर्ड	2	26	10.90	2.50	19	10	12.99	17.65
सरकार	70	272	58.43	99.85	9	181	0.17	32.07
प्राधिकरणों	1,779	8,671	3,172.03	15,969.04	2,213	10,423	4,705.67	92,376.17
उच्च न्यायालयों	697	1,253	510.82	761.87	982	1,631	1,035.83	14,613.45
सर्वोच्च न्यायलय	129	212	2,350.34	938.84	169	212	588.78	5,292.60
अवपीड़क उपायों के लिए लम्बित	5,611	6,617	5,277.73	7,906.00	5,713	8,037	2,008.62	3,352.44
जोड़	**8,953**	**37,081**	**11,675.60**	**39,215.51**	**9,560**	**41,097**	**8,417.82**	**1,31,707.74**

* आंकड़े मंत्रालय द्वारा दिए गए

31 मार्च 2010 को विभिन्न अधिकारियों के पास कुल 50,657 मामले लम्बित थे जिनमें ₹ 1,40,125.56 करोड़ का शुल्क शामिल था, जिनमें से संख्या के अनुसार 28 प्रतिशत विभाग के अधिनिर्णयन अधिकारियों के पास थे।

1.7 फ्रॉड/सम्भावित फ्रॉड के मामले

2007-08 तथा 2009-10 की अवधि के दौरान दोषी निर्धारितियों के विरूद्ध विभाग द्वारा की गई कार्रवाई सहित फ्रॉड/सम्भावित फ्रॉड के मामलों** की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:-

तालिका सं. 6

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	ढूंढे गए मामले		उठाए गए शुल्क की मांग	लगाई गई शास्ति		संग्रहीत शुल्क	संग्रहीत शास्ति	
	संख्या	राशि	राशि	संख्या	राशि	राशि	संख्या	राशि
2007-08	1,021	950.88	775.63	292	137.59	157.98	105	0.93
2008-09	1,161	1,433.91	968.68	133	93.36	81.12	43	0.30
2009-10	1,284	1,691.15	1,515.55	127	35.49	97.55	43	0.19
जोड़	**3,466**	**4,075.94**	**3,259.86**	**552**	**266.44**	**336.65**	**191**	**1.42**

** आंकड़े मंत्रालय द्वारा दिए गए

पूर्ववर्ती तालिका दर्शाती है कि जबकि विभाग द्वारा 2007-10 के वर्षों के दौरान फ्रॉड/सम्भावित फ्रॉड के कुल 3,466 मामले ढूंढे गए थे जिनमें ₹ 4,075.94 करोड़ का

शुल्क शामिल था, तथापि उसने ₹ 3,259.86 करोड़ की मांग उठाई थी और उसमें से ₹ 336.65 करोड़ (10.33 प्रतिशत) की वसूली की थी। इसी प्रकार, लगाई गई ₹ 266.44 करोड़ की शास्ति में से, विभाग ने केवल ₹ 1.42 करोड़ (0.53 प्रतिशत) की वसूली की थी।

1.8 प्रमुख राजस्व देने वाली वस्तुएं

2008-09 के लिए तद्नुरूपी आंकड़ों सहित 2009-10 के दौरान ₹ 1,000 करोड़ से अधिक राजस्व* देने वाली वस्तुओं का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है:-

तालिका सं. 7

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष	वस्तु	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (वास्तविक)	पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक के प्रति प्रतिशतता अन्तर	कुल संग्रहण में प्रतिशतता अंश
1.	34	मोटर स्पिरिट	21,074.74	24,809.46	17.72	24.12
2.	36	रिफाइंड डीज़ल ऑयल	21,536.77	23,130.05	7.40	22.49
3.	40	अध्याय 27 के अन्तर्गत आने वाले अन्य सभी खनिज तेल एवं उत्पाद	13,472.49	12,510.37	(-) 7.14	12.16
4.	27	सिगरेट तथा तम्बाकू के छोटे सिगार अथवा तम्बाकू स्थानापन्न	9,310.24	9,555.67	2.64	9.29
5.	102	लोहा एवं इस्पात	14,112.19	8,479.16	(-) 39.92	8.24
6.	31	सीमेंट	6,483.93	5,185.10	(-) 20.03	5.04
7.	128	व्यक्तियों के परिवहन हेतु मोटर कारें एवं अन्य मोटर वाहन	2,326.80	3,958.34	70.12	3.84
8.	30	अध्याय 24 के अन्तर्गत आने वाली अन्य सभी वस्तुएं	2,584.95	2,745.96	6.23	2.67
9.	38	भट्टी तेल	2,135.33	2,445.72	14.54	2.38
10.	119	अध्याय 84 के अन्तर्गत आने वाली अन्य सभी मशीनरी, मदें एवं औज़ार	2,282.63	1,876.01	(-) 17.81	1.82
11.	130	दो पहिया वाहनों सहित अन्य सभी मोटर वाहन	1,614.05	1,537.29	(-) 4.76	1.49
12.	61	प्लास्टिक तथा उसकी मदें	2,075.78	1,354.86	(-) 34.73	1.32
13.	103	लोहा तथा इस्पात की मदें	1,753.27	1,306.62	(-) 25.48	1.27
14.	17	गन्ना अथवा चुकन्दर की शक्कर तथा रसायनिक रूप से शुद्ध की गई ठोस रूप में शर्करा	1,455.58	1,278.21	(-) 12.19	1.24
15.	29	चबाने वाला तम्बाकू	916.62	1,062.04	15.86	1.03

* **आंकड़े मंत्रालय द्वारा दिए गए**

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि 15 में से आठ वस्तुओं में 2009-10 के दौरान राजस्व का संग्रहण 39.92 से घट कर 4.76 प्रतिशत हो गया था। "लोहा तथा इस्पात" (-39.92 प्रतिशत), "प्लास्टिक तथा उससे बनी मदों" (-34.73 प्रतिशत), लोहा एवं इस्पात से बनी मदों" (-25.48 प्रतिशत) तथा "सीमेंट" (-20.03 प्रतिशत) में राजस्व में भारी कमी देखी गई थी।

1.9 राजस्व की माफी

2008-09 तथा 2009-10 वर्षों के लिए विभिन्न कारणों से माफ किया गया तथा बट्टे खाते डाला गया केन्द्रीय उत्पादशुल्क निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका सं.8

(राशि ₹ करोड़ में)

		2008-09		2009-10	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
निम्नलिखित के कारण माफ किया गया:					
(क)	अग्नि	2	0.09	10	2.38
(ख)	बाढ़	3	0.20	0	0.00
(ग)	चोरी	0	0.00	0	0.00
(घ)	अन्य कारण	397	0.42	54	0.85
निम्नलिखित के कारण बट्टे खाते डाला गया:					
(क)	निर्धारितियों की मृत्यु जो अपने पीछे कोई परिसम्पत्ति नहीं छोड़ गए	7	0.10	5	0.41
(ख)	निर्धारितियों का पता नहीं	88	4.70	36	0.25
(ग)	निर्धारिती भारत छोड़ गए	0	0.00	0	0.00
(घ)	निर्धारिती कर के भुगतान में सक्षम नहीं	8	0.08	3	0.01
(ङ)	अन्य कारण	57	4.04	23	0.49
जोड़		**562**	**9.63**	**131**	**4.39**

* आंकड़े मंत्रालय द्वारा दिए गए

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

1.10.1 राजस्व प्रभाव

विगत पांच वर्षों के दौरान (चालू वर्ष के प्रतिवेदन सहित), लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 664 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल थे जिनमें कुल ₹ 3,807.85 करोड़ का उत्पादशुल्क अन्तर्ग्रस्त था। इनमें से, सरकार ने 481 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थी जिनमें ₹ 2,687.21 करोड़ शामिल थे और ₹ 187.48 करोड़ की वसूली कर ली थी। विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं:-

तालिका सं.9

(राशि ₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफ		स्वीकार किए गए पैराग्राफ तथा अथवा शोधक कार्रवाई की गई						की गई वसूलियां					
			मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के पश्चात		जोड़		मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के पश्चात		जोड़	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि

2005-06	124	1,410.39	89	1,315.73	9	10.27	98	1,326.00	35	25.97	29	19.94	64	45.91
2006-07	152	1,195.36	118	57.30	5	998.81	123	1,056.11	59	23.57	26	13.47	85	37.04
2007-08	163	717.49	104	156.27	20	36.88	124	193.15	41	43.13	7	4.18	48	47.31
2008-09	75	156.84	41	48.30	4	1.58	45	49.88	24	27.59	1	0.51	25	28.10
2009-10	150	327.77	91	62.07	--	--	91	62.07	55	29.12	--	--	55	29.12
कुल जोड़	**664**	**3807.85**	**443**	**1639.67**	**38**	**1047.54**	**481**	**2687.21**	**214**	**149.38**	**63**	**38.10**	**277**	**187.48**

1.10.2 अधिनियम/नियमावली में संशोधन

सरकार ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निपटान हेतु अधिनियम/नियमावली में संशोधन किया। इस संशोधन का निम्नलिखित तालिका में संक्षेप में उल्लेख किया गया है:-

तालिका सं.10

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एआर) का संदर्भ	लेखापरीक्षा में उठाई गई आपत्ति	अधिनियम/नियमावली आदि में संशोधन
2002 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.11 का पैराग्राफ 3.3	रबड़ अधिनियम के संशोधन में विफलता- रबड़ बोर्ड ने रबड़ पर उत्पादशुल्क (उपकर) के समस्त बकाया पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज के उद्ग्रहण का निर्णय लिया जो अप्रैल 1988 से लागू हुआ। रबड़ बोर्ड के अभिलेखों की जांच से पता चला कि उन्होंने न तो 1998-99 तक उपकर की उगाही की और न ही उस पर ब्याज एकत्र किया गया। रबड़ बोर्ड ने बताया कि रबड़ अधिनियम/नियमावली में ऐसा प्रावधान न होने के कारण बोर्ड ब्याज का प्रभावी रूप से संग्रहण करने की स्थिति में नहीं था।	रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 संसद द्वारा पारित किया गया था तथा 22 जनवरी 2010 को 2010 के अधिनियम 4 के रूप में अधिसूचित किया गया था। रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उप धारा (3) के संशोधन के अनुसार निर्यातक अथवा निर्माता, जैसा भी मामला हो, बोर्ड को उत्पादशुल्क का भुगतान, उपधारा (4) में उल्लिखित ढंग तथा अवधि के लिए करेगा तथा, यदि वह ऐसा नहीं कर पाता, तो शुल्क की वसूली "भू-राजस्व" के बकाया के रूप में संग्रहण की लागत तथा मालिक, निर्यातक अथवा निर्माता, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज सहित की जाए। तत्पश्चात् रबड़ नियमावली 1955 संशोधित कर दी गई है तथा अधिसूचना जीएसआर सं. 704 (ई) दिनांक 25 अगस्त 2010 द्वारा रबड़ (संशोधन) नियमावली, 2010 के रूप में अधिसूचित कर दी गई है। उक्त संशोधन में नियम 33 डी के उप नियम (2) के अनुसार, यदि कोई निर्माता उपर्युक्त उप नियम (1) के अन्तर्गत देय राशि का भुगतान निर्धारित समय के अन्दर नहीं कर पाता तो वह बोर्ड द्वारा नियत दर पर ब्याज का भुगतान करेगा और यह दर चूक की तारीख से प्रेषण की तारीख तक दो प्रतिशत मासिक से अधिक नहीं होगी।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति ने अपने नवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में इच्छा व्यक्त की कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवदनों के सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांच की हुई कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन), उन्हें संसद में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखने की तारीख से चार महीने की अवधि के अन्दर प्रस्तुत कर दी जाएं।

अप्रत्यक्ष कर पर पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित केन्द्रीय उत्पादशुल्क से संबंधित पैराग्राफों पर बकाया कार्रवाई टिप्पणियों की समीक्षा से पता चला कि मंत्रालय ने 31

पैराग्राफों पर उपचारी कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थी। इन मामलों में प्रतिक्रिया में विलम्ब चार से 77 महीने के बीच था। बकाया कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है:-

तालिका सं.11

लम्बित एटीएन की सं.	संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफ और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	मंत्रालय का नाम
6	2004 की 11 का 12.1, 2005 की 11 का 11.3, 2007 की 7 का 15.2, 2008 की सीए 7 का 8.2, 2009-10 की सीए 20 का 7.3 (001 सी, 002 सी)	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
4	2008 की सीए 7 का 8.1 (37,169, 221,248)	कपड़ा मंत्रालय
21	2009-10 की सीए 20 का 3.4.1, 3.18 तथा 2009-10 की 12 का 3.1.3, 3.1.5, 3.2.1 (58, 124), 3.2.2, 3.2.3, 3.4.1, 3.4.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.5, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.5, 6.3, 7.2, 7.3, 7.5	वित्त मंत्रालय